Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 24 /2024

Satyabhama @ Satya Bhama Devi...Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16-3-24	**–:आदेशः–** प्रस्तुत अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक– 1560, दिनांक– 30.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 2487 / 2023 में दिनांक– 13.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी उपस्थित। सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आंगनबाड़ी केन्द्र मुसहरी टोला, महशैली, केन्द्र सं0–240, पंचायत– गिद्धवास, रानीगंज, जिला– अररिया में सेविका पद पर नियुक्त होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी इमानदारी के साथ संचालित कर रही थी। दिनांक– 10.10.2022 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने इनके केन्द्र का निरीक्षण किया जहॉ ये उपस्थित थी। बावजूद इसके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया को केन्द्र संचालन के संबंध में गलत रिपोर्ट समर्पित किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के गलत प्रतिवेदन को आधार मानकर अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1560, दिनांक– 30.11.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से सेविका पद से चयनमुक्त करने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि पूर्व में जहॉ ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया जा रहा था वहॉ के मकान मालिक आंगनबाड़ी के बच्चों के शोर–गुल से तंग होकर झगड़ा–झंझट हो गया था जिस कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन अपने घर पर कर रही थी। इस प्रकार इनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज के गलत प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा इन्हें चयन मुक्त किये जाने को विधि विरूद्ध मानते है तथा इस आधार पर पुनः नियुक्ति संबंधी आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक– 1557, दिनांक– 09.10.2023 द्वारा कंडिकावार मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित **क्रमशः**	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 16-03-24	करते हुए अंकित किया है कि ततकालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा दिनांक– 29.9.2023 को समय 12:30 बजे अप0 में उक्त केन्द्र सं0–240 मुसहरी टोला का औचक निरीक्षण किया गया जो बंद पाया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज ने दिनांक– 10.10.2022 को उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया जिसमें कई सारी अनियमितता पाई गई यथा– (क) सेविका द्वारा दिनांक– 07.10.2022 एवं 08.10.2022 को बच्चों की उपस्थिति नहीं बनाई गई थी। (ख) सेविका द्वारा ड्रेस कोड का पालन नही किया गया था। (ग) बच्चों को सुबह का नास्ता भी नही दिया जाता था, (घ) मेन्यु के अनुसार पुलाव नहीं बनाया गया था उसके स्थान पर भात–दाल दिखाया गया तथा (ड.) यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र निजी मकान में संचालित हो रहा है। प्रतिवेदन में आगे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा पत्रांक–889, दिनांक– 21.11.2022 की छायाप्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक– 12.9.2022 को महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा केन्द्र पर्यवेक्षण के क्रम में उक्त केन्द्र पूर्णतः बंद पाया गया। फलस्वरूप उनके कार्य ौली में किसी प्रकार का सुधार नहीं पाये जाने पर अपीलार्थी मसो0 सत्यभामा देवी के चयनमुक्ति की अनुशंसा विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक– 170, दिनांक– 20.01.2017 की कंडिका 11(क) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका पद से चयनमुक्त किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने कथनों में यह अंकित किया है कि पूर्व में संचालित केन्द्र के मकान मालिक से झगड़ा–झंझट होने के कारण बाल विकास परियोजना के आदेशानुसार केन्द्र का संचालन अपने घर पर कर रही थी जो चाहरदिवारी से धिरा हुआ नही था परंतु उनके द्वारा अपने कथनों को संपुष्ट करने हेतु कोई साक्ष्य समर्पित नही किया गया। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायलय को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.